

सं0 सं0 14 / एम 11-4 / 15
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

रविन्द्र नाथ टैगोर अन्तर्राष्ट्रीय हृदय विज्ञान संस्थान,
मुकुन्दपुर, कोलकत्ता 700099

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 5.8.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	हामीद हसन पिता-स्व. मो0 क्युम ग्राम-पो0+थाना-हसपुरा जिला-औरंगाबाद	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,50,000 / (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	दयानन्द सिंह मोहल्ला-बी0 / 28, न्युकुंज कालोनी राजेन्द्र नगर, पटना-16	हृदय रोग	₹ 1,25,000 / (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,75,000 / -

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,75,000 / - (तीन लाख पचहतर हजार) का क्रास चेक सं0..... 850227 मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र / छद्म नाम / अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज / उनके अभिभावक / उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि / यदि मरीज द्वारा चिकित्सा / शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0 / -

(डा. राजधारी रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

1008 (14)

पटना, दिनांक

11/9/15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

*25-8-15

सं० सं० 14/एम 11-4/15
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 5.8.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मो० अफताब पिता-स्व. मो० शकील ग्राम-चन्दर बखरी पो० मिर्जापुर थाना-अहियापुर जिला-मुजफ्फरपुर सी.आर नं०-2015114246	हृदय रोग	₹ 1,60,000 / (एक लाख साठ हजार) स्वीकृत।
2	अभिजीत कुमार पिता-नन्दु मल्लाह ग्राम-रामपुर पोस्ट-रूपपुर थाना-जिला-भभुआ, कैमुर सी.आर नं०-2014692881	कैंसर रोग	₹ 80,000 / (अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	बृज नन्दन शर्मा पिता-रामचन्द्र शर्मा ग्राम-नखतौल पोस्ट-डुमरैत थाना-जिला-भभुआ सी.आर नं०-2515359634	कैंसर रोग	₹ 50,000 / (पचास हजार) स्वीकृत।
4	मुकेश कुमार पिता-रामायण यादव ग्राम-देवनचक पो०-जगदीशपुर थाना-नौतन, जिला-सीवान सी.आर नं०-2015335592	मुत्र रोग	₹ 70,000 / (सतर हजार) स्वीकृत।

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 17,40,000/-(सतरह लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 850167 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस०जी०पी०जी०आई०एम०एस०पी०ई०डी० खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस०जी०पी०जी०आई०, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० राजधारी रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 850167 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।।

ह०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

1005 (11/11) प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /सभी संबंधित मरीजों /आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

4-25-8-15

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सर सुन्दर लाल हॉस्पिटल,
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस,
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी,
वाराणसी।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 5.8.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	दुनु सिंह पिता-अमरजीत सिंह ग्राम-जीगना, पोस्ट-गोई जिला-कैमुर, भभुआ हौस्पिटल नं०-10850/14	कैंसर रोग	₹ 50,000 / (पचास हजार) स्वीकृत।
2	मो० युनुस अंसारी पिता-मो० जलील अंसारी ग्राम-छोटा परेउवा पोस्ट+थाना-रक्सौल जिला-पूर्वी चम्पारण हौस्पिटल नं०-4145/15	कैंसर रोग	₹ 80,000 / (अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	नीलम देवी पति-ओम प्रकाश सिंह ग्राम-दुगुथुआ पो०+थाना-चौद जिला-भभुआ, कैमुर हौस्पिटल नं०-2743/15	हृदय रोग	₹ 1,60,000 / (एक लाख साठ हजार) स्वीकृत।
4	चौदनी सिंह पति/पिता-यशवन्त सिंह ग्राम-भेकास पोस्ट-अखलासपुर थाना+जिला-भभुआ ओ०पी०डी-9560/15	हेपेटाइटिस सी रोग	₹ 50,000 / (पचास हजार) स्वीकृत।
5	सरिता देवी पति-पूरण मेहता ग्राम-कंचनपुर पोस्ट-काशीपुर, थाना-बारुण जिला-औरंगाबाद हौस्पिटल नं०1063/14	कैंसर रोग	₹ 50,000 / (पचास हजार) स्वीकृत।

